रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2012/माघ 21, 1933

No. 33] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2012/MAGHA 21, 1933

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

(उत्प्रवास नीति प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2012

फा. सं. ओआई-11012/08/2012-ईपी-I.—सरकार ने 4 जनवरी, 2012 को प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए पेंशन और जीवन बीमा निधि (पीएलआईएफ) के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है । पेंशन और जीवन बीमा निधि योजना का उद्देश्य, प्रवासी भारतीय कामगारों को, जिनके पास उत्प्रवास स्वीकृति अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट है, और जो एक वैध अस्थाई रोजगार/संविदा वीजा पर विदेश उत्प्रवास कर चुके हैं या कर रहे हैं, स्वैच्छिक रूप से (क) उनकी वापसी और पुनर्वास के लिए बचत करने, (ख) उनकी वृद्धावस्था के लिए बचत करने, (ग) प्राकृतिक मत्युं के विरुद्ध एक जीवन बीमा कवर प्राप्त करने के लिए, प्रोत्साहन देना, सक्षम बनाना और सहायता करना है ।

2. पेंशन और जीवन बीमा निधि योजना के अन्तर्गत सभी पात्र अंशदाताओं को अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित लाभ उपलब्ध होंगे :—

- प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा, स्वावलम्बन की लाइन पर सभी पात्र पीएलआईएफ अंशदाताओं को, जो पीएफआरडीए विनियमित एनपीएस-लाइट योजना में प्रतिवर्ष 1000 रुपये से 12000 रुपये तक बचत करते हैं, प्रति वित्तीय वर्ष में 1000 रुपये का सह-अंशदान ;
- प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा, सभी प्रवासी भारतीय महिला कामगारों को, जो पीएलआईएफ से जुड़ती हैं और पीएफआरडीए विनियमित एनपीएस-लाइट योजना में प्रति वित्तीय वर्ष में 1000 रुपये से 12000 रुपये के बीच बचत करती हैं, प्रति वित्तीय वर्ष में 1000 रुपये का एक विशेष अतिरिक्त सह-अंशदान ; और
- प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा, सभी प्रवासी भारतीय कामगारों को, जो पीएलआईएफ से जुड़ते हैं और अपनी वापसी और पुनर्वास की ओर प्रति वित्तीय वर्ष में 4000 रुपये की बचत करते हैं, वापसी और पुनर्वास (आरएंडआर) की ओर 1000 रुपये तक का एक विशेष सह-अंशदान ।

3. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित सह-अंशदान के लिए पात्रता हेतु, पात्र प्रवासी भारतीय कामगार से, जो स्वैच्छिक रूप से पीएलआईएफ योजना से जुड़ते हैं, उनकी पेंशन की ओर प्रति वित्तीय वर्ष में कम से कम 1000 रुपये और उनकी वापसी और पुर्नवास निधि की ओर प्रति वित्तीय वर्ष में कम से कम 4000 रुपये की बचत करने की आशा की जाती है । सभी पीएलआईएफ अंशदाताओं को, जो प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सह-अंशदान के लिए पात्र हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से एक जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा ।

4. प्रवासी भारतीय कामगार, जो स्वैच्छिक रूप से पीएलआईएफ से जुड़ते हैं, पीएलआईएफ पात्रता शर्तों और समय-समय पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा बनाए गए संचालन दिशानिर्देशों के साथ-साथ, अंशदाताओं को पीएलआईएफ योजना के लाभ डिलीवर करने के लिए, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा काम में लगाए गए विनियमित वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्धारित विनियमों और निवेश एवं बीमा शर्तों, द्वारा शासित होंगे ।

5. पीएलआईएफ योजना के अन्तर्गत, निवेश और बीमा उत्पाद सेवाएं और लाभ, पेंशन निधि विनियमन और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सेबी), और बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा विनियमित नामित वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे। प्रत्येक पात्र प्रवासी भारतीय कामगार को, जो पीएलआईएफ योजना से जुड़ता है, एक विशिष्ट पीएलआईएफ एकाउंट नं. प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक वैयक्तिक पीएलआईएफ अंशदाता की बचतें, एक स्टेंडिंग इन्सट्रक्शन या ईसीएस मेनडेट, जो अंशदाताओं द्वारा अपने बैंक को प्रदान किया गया हो, का प्रयोग करते हुए सीधे ही उनके बैंक एकाउंट से डेबिट की जाएगी और नामित वित्तीय संस्थानों में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

6. पेंशन और जीवन बीमा निधि के संचालन की प्रभावी तिथि 01 मई, 2012 से होगी।

अतुल कुमार तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

(Emigration Policy Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2012

F. No. OI-11012/08/2012-EP-I.—The Government has approved on 4th January 2012 the proposal of Pension and Life Insurance Fund (PLIF) for overseas Indian workers. The PLIF scheme aims to encourage, enable and assist overseas Indian migrant workers having Emigration Clearance Required (ECR) passports and who have emigrated overseas or is emigrating overseas on a valid temporary employment/contract visa to voluntarily (a) save for their return and resettlement, (b) save for their old age pension, (c) obtain a Life Insurance cover against natural death.

2. The following benefits shall be available under the PLIF scheme to all eligible subscribers for a maximum period of 5 years :

- A co-contribution of Rs. 1000 per financial year by MOIA on the lines of Swavalamban for all eligible PLIF subscribers who save between Rs.1000 and Rs.12000 per financial year in the PFRDA regulated NPS-Lite scheme;
- A special additional co-contribution of Rs. 1000 per financial year by MOIA for all overseas Indian women workers who join the PLIF and save between Rs.1000 and Rs.12000 per financial year in the PFRDA regulated NPS-Lite scheme; and
- A special co-contribution of up to Rs. 1000 by MOIA towards return and resettlement (R & R) for all overseas Indian workers who join the PLIF and save Rs. 4000 per financial year towards their return and resettlement.

3. To be eligible for the prescribed co-contribution by Ministry of Overseas Indian Affairs (MOIA), eligible overseas Indian workers who voluntarily join the PLIF scheme shall be expected to save at least Rs. 1000 per financial year towards their pension and at least Rs. 4000 per financial year towards their return and resettlement fund. All PLIF subscribers who are eligible for the MOIA co-contribution shall be provided with a life insurance cover through the Life Insurance Corporation of India.

4. Overseas Indian workers who voluntarily join the PLIF shall be governed by the PLIF eligibility conditions and operational guidelines as framed by the MOIA from time to time, as well as by the regulations and investment and insurance terms prescribed by regulated financial institutions engaged by the MOIA for delivering PLIF scheme benefits to subscribers.

5. Investment and insurance products, services and benefits under the PLIF scheme shall be implemented by designated financial institutions regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), Security and Exchange Board of India (SEBI), and Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA). Each eligible overseas Indian worker who joins the PLIF scheme shall be provided with a unique PLIF Account Number. Savings of individual PLIF subscribers will be directly debited from their bank accounts using a Standing Instruction or ECS mandate provided by subscribers to their bank and transferred to designated financial institutions.

6. The effective date of operationalization of the PLIF shall be from 1st May, 2012.

ATUL KUMAR TIWARI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.